संख्या में मजबूती: जजों की नियुक्तियों पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

12 दिसम्बर, 2019

"एक त्रुटिपूर्ण कॉलेजियम प्रणाली के पास न्यायपालिका में नियुक्तियों को रोके रखने का कोई कारण नहीं है।"

भारत की उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों की घटती संख्या से संबंधित आंकड़ों की सूची एक नई समस्या की ओर इशारा करती है। 10 दिसंबर को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए अनुशंसित 213 नाम सरकार के पास लंबित हैं। आंकड़ें बताते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सभी स्वीकृत पदों में से 38% पद 1 दिसंबर तक खाली पड़े हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश और राजस्थान सहित कुछ राज्यों के उच्च न्यायालय अपनी वास्तविक क्षमता से आधे से नीचे में कार्य कर रहे हैं।

न्यायालय ने न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए छह महीने की समय अवधि तय की है, कम से कम उन नामों पर जिनपर उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम, उच्च न्यायालयों और सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की जा चुकी है।

Empty chairs

38% of all sanctioned posts for judges in High Courts are lying vacant as of December 1, 2019. The six HCs with most vacancies:

Name of High Court	Sanctioned strength	Working strength	Vacancies	% of vacancies
A.P.	37	15	22	59.46
Rajasthan	50	21	29	58
J&K	17	8	9	52.94
Patna	53	27	26	49.06
Orissa	27	14	13	48.15
Gujarat	52	28	24	46.15

विदित हो कि उच्चतम न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर, अंतिम अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुँचने वाले सभी नामों के लिए समय अवधि निर्दिष्ट होती है।

मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कहा गया है कि एक रिक्ति आने से कम से कम छह महीने पहले नियुक्तियाँ शुरू कर दी जानी चाहिए और उसके बाद छह सप्ताह का समय राज्य द्वारा केंद्रीय कानून मंत्री को सिफारिश भेजने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है, जिसके बाद चार हफ्तों में संक्षिप्त नामों को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास भेजा जाता है।

एक बार कॉलेजियम द्वारा नामों की मंजूरी देने के बाद, कानून मंत्रालय को तीन सप्ताह में प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजनी होती है जिसके बाद वे राष्ट्रपति को सिफारिश भेजते हैं। हालाँकि, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसलिए नियुक्तियों में एक ठहराव आने लगता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन नियुक्तियों के लिए समय सीमा की सिफारिश करना एक स्वागत योग्य कदम है। विदित हो कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, आयोग (NJAC) अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका को एक वृहद पीठ के पास भेजने की केंद्र की अपील खारिज कर दी थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए बने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को असंवैधानिक करार दिया था और अदालत ने साफ कर दिया था कि जजों की नियुक्ति पहले की तरह कॉलेजियम सिस्टम से ही होगी। तब से नियुक्तियों में देरी की खबरें आम हो गई हैं।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की उसी खंडपीठ ने सरकार को नामांकन के दूसरे सेट पर कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई थी, जिस पर सरकार ने आपत्तियाँ भेज दी थीं। अदालत ने कहा कि यदि कॉलेजियम नामों को दोहराता है, तो सरकार के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह के गतिरोध अब अपरिहार्य हैं।

जैसा कि सरकार ने देरी करने के माध्यम से इस प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास किया है, इसलिए अब अदालत को ही यह सुनिश्चित करना होगा कि कई खामियों के बावजूद कॉलेजियम प्रणाली, जिसके लिए वह शुरू से लड़ रहा है, वास्तव में प्रभावी ढंग से कार्य करे और ऐसा करना ही इसके लिए हितकर साबित होगा। उच्चतम न्यायपालिका में रिक्तियाँ न्याय वितरण प्रणाली के हर पहलू को खतरे में डालती हैं और ये अदालतें ही हैं जिन्हें लगभग हर बार न्याय में देरी के लिए दोषी माना जाता है।

GS World टीम...

कॉलेजियम व्यवस्था

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 1079 स्वीकृत पदों के मुकाबले 410 पद रिक्त होने को गंभीरता से लेते हुए आदेश दिया है।
- सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि ये नियुक्तियाँ किसी व्यक्ति के नाम को कॉलेजियम और सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर की जानी चाहिए। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने यह आदेश दिया।
- न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने छह दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ऐसे मामलों में जिनमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों को उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम और सरकार से मंजूरी मिलती है, कम से कम उनमें नियुक्तियाँ छह महीने के भीतर होनी चाहिए।
- यह आदेश ऐसे समय में आया है जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी हो रही है और उच्च न्यायपालिका में घटती संख्या न्याय वितरण तंत्र को प्रभावित कर रहा है।
- अदालत ने 213 नामों के विवरण के साथ एक सूची माँगी है, जिसमें यह भी शामिल है कि कब उनकी फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और कानून मंत्रालय द्वारा पीएमओ को अग्रेषित करने के लिए समय लिया गया था।

- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए, केंद्रीय कानून मंत्रालय को तीन सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री को सिफारिशें देनी होंगी जो राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिए सलाह देंगे। हालाँकि, प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा कार्रवाई के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

आंकड़ों के अनुसार

- 2019 में केवल 65 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया है। यह 2017 में 115 और 2018 में 108 था।
- उच्च न्यायालय अपनी स्वीकृत न्यायिक शक्ति के लगभग 50% पर काम कर रहा हैं। उच्च न्यायालयों में स्वीकृत कुल 1079 न्यायाधीशों में से 410 रिक्तियाँ हैं। अदालतों में केवल 669 न्यायाधीश काम कर रहे हैं।
- 2019 में, केवल 65 (2.12.2019 के अनुसार), 2017 में 115 और 2018 में 108 न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों में नियुक्त किया गया था।
- यदि उच्च न्यायालयों में न्यायिक शक्ति इसी तरह लगातार दूर होती रही, तो बेंच ने कहा है कि हमारे पास 1 जनवरी, 2018 की तुलना में 1 जनवरी, 2020 में उच्च न्यायालय के कम न्यायाधीश होंगे।
- खंडपीठ ने सात पन्नों के अपने आदेश में कहा कि विभिन्न उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम को अभी तक 19,000 रिक्तियों के लिए सिफारिशें भेजनी थीं।

क्या है?

- देश की अदालतों में जजों की नियुक्ति की प्रणाली को 'कॉलेजियम व्यवस्था' कहा जाता है। 1990 में सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के बाद यह व्यवस्था बनाई गई थी।
- कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी वरिष्ठ जजों की समिति जजों के नाम तथा नियुक्ति का फैसला करती है।
- सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति तथा तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। हाईकोर्ट के कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यह फैसला भी कॉलेजियम ही करता है।
- कॉलेजियम व्यवस्था का उल्लेख न तो मूल संविधान में है और न ही उसके किसी संशोधित प्रावधान में।

पृष्ठभूमि

- यह सिस्टम 28 अक्टूबर, 1998 को 3 जजों के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए प्रभाव में आया था।
- कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक फोरम जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है।
- कॉलेजियम की सिफारिश मानना सरकार के लिए जरूरी होता है।
- UPA सरकार ने 15 अगस्त, 2014 को कॉलेजियम सिस्टम की जगह NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) का गठन किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) कानून को असंवैधानिक करार दे दिया था।
- इस प्रकार वर्तमान में भी जजों की नियुक्ति और तबादलों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम ही करता है।

कॉलेजियम सिस्टम और एनजेएसी में अंतर?

- एनजेएसी (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग) सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संवैधानिक संस्था है, जिसे जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम की जगह लेने के लिए बनाया गया था। वहीं कॉलेजियम सिस्टम के जरिए पिछले 22 साल से जजों की नियुक्ति की जा रही है।
- एनजेएसी में 6 सदस्यों का प्रस्ताव था। देश के चीफ जस्टिस को इस आयोग का प्रमुख बनाने की बात कही गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ जजों, कानून मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ीं 2 जानी-मानी हस्तियों को बतौर सदस्य शामिल करने की बात थी।
- एनजेएसी में जिन 2 हस्तियों को शामिल किए जाने की बात कही गई थी, उनका चुनाव चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं होने की स्थिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता वाली कमेटी करती।
- इसी पर सुप्रीम कोर्ट को सबसे ज्यादा ऐतराज था। एनजेएसी को चुनौती देने वाले लोगों ने दलील दी थी कि जजों के सेलेक्शन और अप्वॉइंटमेंट का नया कानून गैर संवैधानिक है। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। वहीं केंद्र ने इसका बचाव करते हुए कहा था कि 20 साल से ज्यादा पुराने कॉलेजियम सिस्टम में कई खामियाँ हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर होती है।
2. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कोई भूमिका नहीं होती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. Appointment of judges to the High Court is done on the recommendation of the National Judicial Appointments Commission.
2. The Chief Justice of the Supreme Court has no role in the appointment of a Judge of the High Court.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 11 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'वर्तमान में न्यायपालिका के उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की रिक्तियों में बढोत्तरी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।' इस समस्या के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए इसका समाधान भी सुझाइए।

(250 शब्द)

"At present, the increase in the vaccancy of judges at the higher levels of the judiciary is becoming a major problem." Mentioning the major reasons for this problem, also suggest it's solution.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।